

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8555/2026
CNR: RJHC010610172026 | URN: CRLMB / 18548U / 2026

Pratap Singh S/o Shri Chain Singh, Aged About 34 Years,
Resident Of Ratneshwar Nagar, Kanodiya Purohitan Police Station
Chamu District Jodhpur, Rajasthan. (At Present Lodged In
Central Jail, Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Though PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashok Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/07/2026

- 01.** प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अन्तरिम जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चामू, जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
- 02.** बहस अन्तरिम जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
- 03.** विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी-अभियुक्त की पत्नी के सीने में तेज दर्द होने पर उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा TROPONIN-I टेस्ट करने पर पॉजीटिव आया। चिकित्सक द्वारा उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। इस हेतु प्रार्थी-अभियुक्त को 30 दिवस की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।
- 04.** इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अन्तरिम जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान लोक अभियोजक ने चिकित्सक द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2026 पेश की, जिसके मुताबिक प्रार्थी-अभियुक्त की पत्नी का TROPONIN-I टेस्ट पॉजीटिव आया है।

05. अन्तरिम जमानत आवेदन पर विचार किया। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।
06. परिणामतः अन्तरिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया है कि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रतापसिंह पुत्र चैनसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में रिहाई की तारीख से 15 दिन की अवधि के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।
07. संबंधित जेल अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त को नियत तिथि को समर्पित होने हेतु पाबंद करे।
08. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो अधीनस्थ न्यायालय उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब कर सकेगा।
09. पत्रावली वास्ते देखने पालना आदेश दिनांक 17.08.2026 को सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J